तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 190/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/405) बअनवान भंवरदान बनाम गोविंददान इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

भंवरदान

बनाम

गोविंददान इत्यादि

उपस्थित

1. श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ

आदेश

दिनांक 09 अप्रैल 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 314/2022 अनवान गोविंददान व अन्य बनाम प्रकाश देथा इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2023 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1152 रकबा 0.7443 हैक्टेयर वाके मौजा बोरून्दा अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो द्वारा गलत तथ्य पेश करते हुए वादग्रस्त आराजी को पक्षकारान की सामलाती भूमि होना बताया है, जबकि वास्तव में खसरा संख्या 1152/1, 1152/2, 1152/6 व 1152/7 की भूमि पक्षकारान की सामलाती भूमि थी, जिस पर सभी सहखातेदारान अलग-अलग आपसी सहमति से बंटवारा अनुसार मौके पर

	काबिज है। खसरा सख्या 1152 का कुल रकबा 13 बीघा है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नजरी नक्शा में जो खसरा संख्या 1152 की 0.7443 हैक्टेयर भूमि दर्शायी गयी है, वह अजमेरिया वाला बाडा अपीलाण्ट के पूर्वजों द्वारा कयसुदा करीब चार बीघा भूमि है जिस पर अपीलाण्ट के तनहा कब्जा काश्त व उपयोग-उपभोग की भूमि है, जो एक चक के रूप में है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट की चारदीवारी बनी हुई है। उक्त भूमि के चिपती हुई खसरा संख्या 1152 की जो बकाया भूमि है, वह पक्षकारान की सामलाती भूमि है और उसे सावण मगरे के नाम से जाना जाता है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा जारी कर दी जिसमें मात्र अप्रार्थीगण को ही पाबन्द किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आदेश का अनुचित लाभ उठाने के उद्धेश्य से रेस्पो. संख्या एक व दो ने मौके पर दिनांक 20 अक्तूबर 2023 से अनाधिकृत दखलंदाजी आरम्भ की और अपीलाण्ट को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया और निरन्तर लडाई झगडा कर रहे है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर उभयपक्षकारान की बजाय मात्र अप्रार्थीगण को ही जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा पाबन्द करने में गम्भीर विधिक त्रुटि की है। अपीलाधीन आदेश मात्र अप्रार्थीगण के खिलाफ ही होने के कारण मौके पर रेस्पो. संख्या एक व दो द्वारा अप्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने के किये जा रहे प्रयासों एवं लडाई झगडो को रोकने बाबत अपीलाण्ट को पुलिस से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है। यदि रेस्पो. संख्या एक व दो अपने मन्सूबों में कामयाब हो जाते है तो अपीलाण्ट को गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय क्षति होगी और उसका अपील पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा। इस प्रकार मामले में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं	

	अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 19 अक्तूबर 2023 को निरस्त किया जावे। जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जो पूर्व में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बिलाडा के समक्ष वाद संख्या 55/1999 प्रवीणदान व अन्य बनाम किशनदान अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार करते हुए डिकी जारी करते हुए उक्त वाद में वादीगण को विभिन्न खसरा नम्बरान की आराजियात के अलग-अलग भूभाग बाबत(जिसमें आराजी खसरा संख्या 1152 रकबा 13 बीघा का 1/9 हिस्सा भी सम्मिलित रहा है) खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उनके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी की गयी है। उक्त वाद में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं था। वादग्रस्त आराजी गैरमुमकिन लाटा है जो पक्षकारान के सामलाती उपयोग-उपभोग की भूमि है तथा राजस्व रिकार्ड में भी रेस्पो. संख्या एक से आठ की सामलाती भूमि के रूप में दर्ज है। अपीलाण्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि बाबत दर्ज नहीं है और न ही अपीलाण्ट उक्त भूमि का सहखातेदार है। उक्त भूमि का विधिवत कोई बंटवारा पक्षकारान के मध्य आदिनांक तक नहीं हुआ है फिर भी रेस्पो. संख्या तीन के साथ मिलकर अपीलाण्ट द्वारा कोई विवाद कारित किया जाने की स्थिति में गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय क्षति रेस्पो. संख्या एक व दो को ही कारित होगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु रेस्पो. संख्या एक व दो के पक्ष में मानते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थायी	

	निषेधाज्ञा जारी की गयी है जिसमें वर्तमान स्तर पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1152 रकबा 0.7443 हैक्टेयर गैरमुमकिन लाटा वाके मौजा बोरून्दा बाबत वादीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद मय स्थगन प्रार्थनापत्र में अपीलाण्ट को बतौर प्रतिवादी एवं अप्रार्थी संख्या दो पक्षकार बनाया गया है जिससे प्रथमिदृष्टया साबित है कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का हित निहित है। वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान के स्वामित्व, हक-हकूक एवं हिस्से बाबत मूल वाद की कार्यवाही में पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद गुणावगुण पर निस्तारण करते समय विनिश्चयन होना है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय केवल अपीलांट/अप्रार्थीगण को ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट्स द्वारा आलौच्य आदेश की आड़ में वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। लिहाजा वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने एवं पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वादकरण एवं तनाव की स्थितियों की	

	रोकथाम के लिए उभय पक्ष को पाबंद किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1152 रकबा 0.7443 हैक्टेयर ग्राम बोरूंदा के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा वादग्रस्त आराजी पर कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	